चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 11.04.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 11.04.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). आज दिनाँक 11.04.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस लाइन्स चित्रकूट में शुक्रवार की साप्ताहिक परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया । परेड निरीक्षण के दौरान अधि0/कर्मचारीगण का टर्न आउट चेक किया गया तथा परेड ग्राउण्ड में उपस्थित सभी टोलियों की ड्रिल देखी गयी एवं आवश्यक सुधार हेतु प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन को निर्देशित किया गया।

तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवहन शाखा जाकर थानों से आयी समस्त चार/दो पहिया वाहनों, 112 पीआरवी वाहनों तथा परिवहन शाखा में रखे वाहनों का निरीक्षण कर प्रभारी परिवहन शाखा को मरम्मत हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये, थानों से आये वाहनों में रखे उपकरणों को व हुटर,सायरन को बजावाकर चेक किया गया तथा पुलिस लाइन्स परिसर का भ्रमण कर नवनिर्मित भवन,आवास परिसर, आरक्षी बैरिक,आरटीसी बैरिक, सीपीसी कैंटीन,मंदिर,भोजनालय,आर्मरी का निरीक्षण किया गया। क्वार्टर गार्द का निरीक्षण कर सलामी ली गयी साथ ही पुलिस अधीक्षक द्वारा आदेश-कक्ष में जाकर पुलिस कर्मियों का अर्दली रुम किया गया ।
इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल,प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण, पीआरओ श्री प्रदीप पाल एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(7). पुलिस महानिदेशक महोदय उ0प्र0 के आदेश के क्रम में आज दिनाँक 11.04.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में क्षेत्राधिकारी श्री फहद अली की उपस्थिति में पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में थाना/चौकियों से नामित आरक्षी/महिला आरक्षियों को सीसीटीएनएस का प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया । इस कार्यशाला में जिला कॉर्डिनेटर सीसीटीएनएस मनीष वर्मा द्वारा थाना/कार्यालयों से नामित आरक्षी/महिला आरक्षियों को सीसीटीएनएस सम्बन्ध में पुलिस मुख्यालय लखनऊ से प्राप्त पीपीटी एवं वीडियोज के माध्यम से विस्तृत रुप से पढ़ाया गया। यह कार्यशाला पुनः दिनाँक 11.04.2025 से प्रारम्भ होकर दिनाँक 17.04.2025 तक चलेगी।

(8). आज दिनांक 11.04.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में शान्ति,सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु पुरानी बाजार ईदगाह,तरौंहा,परासन टोला मस्जिद, उतारखाना,भरतपुरी,कजियाना मोहल्ला, एलआईसी तिराहा,काली देवी चौराहा एवं मिश्रित आबादी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों के आस पास भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में ड्रोन कैमरे से निगरानी की गयी ।

(9). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष बरगढ़ श्री पंकज तिवारी एवं पैरोकार आरक्षी हरेन्द्र कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ श्री एस.आनन्द द्वारा थाना बरगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 07/18 धारा 379/411 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1.शैलेन्द्र सिंह उर्फ छोटू पुत्र रजवन्त सिंह 2.रजनी मौर्या पुत्र रामानुज मौर्या निवासीगण छपरिहा मजरा सेमरा थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट जेल में बिताई गयी अवधि व 2000/-2000/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(10). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री दुर्गविजय सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री कृपानन्दन शर्मा व उनकी टीम द्वारा मु0अ0स0 129/22 धारा 457/380/411/413/414 भादवि के वांछित अभियुक्त राजू माही उर्फ पण्डा पुत्र रामसजीवन निवासी चुनरी पिचावा थाना सोहागी जिला रीवा म0प्र0 को गिरफ्तार किया गया।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम-</u>

1.उ0नि0 श्री कृपानन्दन शर्मा थाना मानिकपुर

2.उ0नि0 श्री अरविन्द द्विवेदी

3.आरक्षी भाष्कर शुक्ला

(11). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी गल्ला मण्डी समिति उ0नि0 श्री श्यामदेव सिंह व आरक्षी शिवपूजन यादव द्वारा मु0अ0सं0 66/22 धारा 125 सीआरपीसी के वारण्टी अभियुक्क राकेश सोनकर पुत्र चन्द्रपाल सोनकर निवासी शंकर बाजार कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(12). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री यामीन अहमद के पर्यवेक्षण में अपराध की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा कार्यवाही के क्रम में दिनाँक 06.04.025 थाना मानिकपुर अन्तर्गत एक ग्राम में नाबालिक बालिका के साथ घटित दुष्कर्म की घटना के सम्बन्ध में थाना मानिकपुर में पिता की तहरीर पर मु0अ0सं0 45/25 धारा 65(1),74,115(2),351(2) बीएनएस व ¾(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर 24 घण्टे के अन्दर प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री दुर्ग विजय सिंह व उनकी टीम द्वारा आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा चुका है। उपरोक्त मुकदमें की विवेचना अपराध निरीक्षक श्री विनय विक्रम सिंह को सुपुर्द की गयी थी जिसमें आज दिनाँक 11.04.025 को अभियोग पंजीकृत होने से मात्र 06 दिवस के अन्दर आरोप पत्र को माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया जिसका माननीय न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में गहन पैरवी कर अपराधी को अधिक से अधिक सजा दिलायी जायेगी।